**संख्या-99/2022/373/69-1-2022-159(मु0अ0-37)/2020**

**प्रेषक,**

**अखिलानन्द ब्रम्हचारी,**
**उप** सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।** **लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2022**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत' अनुदान संख्या-37 में जनपद-वाराणसी की न0नि0 वाराणसी की 06 परियोजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4769/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2019-20-वाराणसी, दिनांक 29.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत'** अनुदान संख्या-37 में शासनादेश संख्या-426/2020/925/69-1-2020-159(मु0अ0-37)/2020, दिनांक 29.03.2020 द्वारा जनपद वाराणसी की न0नि0 वाराणसी की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 09 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 327.21 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत धनराशि रू0 **163.605 लाख** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 09 परियोजनाओं में से 03 परियोजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु शासनादेश दिनांक 31.12.2021 द्वारा द्वितीय/अन्तिम किश्त रू0 42.330 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

2- अतएव वित्तीय वर्ष 2021-22 में "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत**" अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट से **जनपद-वाराणसी की न0नि0 वाराणसी** की अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 06 परियोजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु, जिसका विवरण संलग्न तालिका के कालम-6 में कर दिया गया है, द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 121.275 (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2022 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीय कृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

19. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, इडा का होगा।**

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **''2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

**संलग्नक– यथोक्त।**

भवदीय,

**(अखिलानन्द ब्रम्हचारी)**
**उप सचिव।**

**संख्या-99/2022/373(1)/69-1-22, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, वाराणसी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

**(अखिलानन्द ब्रम्हचारी)**
उप सचिव।

**शासनादेश संख्या-99/2022/373/69-1-2022-159(मु0अ0-37)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2022 का संलग्नक।**

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण। | परियोजना की कुल लागत। | द्वितीय/अंतिम किश्त की स्वीकृति की जाने वाली धनराशि। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | वाराणसी | न0नि0 वाराणसी | जोल्हा उत्तरी वार्ड में म0नं0 एन 15/189 से खब्बू की पोखरी बड़ी गैवी वी0डी0ए0 कालोनी बड़ी गैवी एन 15/108 पप्पू सोनकर से म0नं0 एन 15/46 महेन्द्र सोनकर तक जल निकासी एवं गली निर्माण कार्य। | 61.57 | 30.785 |
| 2 | | | वार्ड सराय सुर्जन में वर्मा कन्स्ट्रक्शन से श्री राम जी चौधरी म0नं0 बी 34/36 से म0नं0 बी 34/37 श्री शिव लाल जी, म0नं0 बी 34/6 राजनाथ पान से म0नं0 बी0 34/37 1-2 राम किशन एवं बी 34/34ए सुशील चौधरी से बी 34/36 के-2 सुरेश तक जल निकासी एवं गली निर्माण कार्य। | 46.89 | 23.445 |
| 3 | | | वार्ड नं0 10 तरना में पाईपास मुख्यमार्ग से गोमती हास्पिटल म0नं0 शि0 15/165 तुलसी भवन, पी0एन0 यादव एम0डी0 स्कूल व म0नं0 शि0 15/181-7 तक इण्टरलाकिंग व जल निकास कार्य। | 39.20 | 19.600 |
| 4 | | | वार्ड नं0 10 तरना के परमानन्दपुर में पी0जी0 अग्रसेन रोड से म0नं0 10//31-बी के घर से राधा देवी, भोला राम, प्यारेलाल म0नं0 10/40 एवं म0नं0 10/40-1 तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 31.25 | 15.625 |
| 5 | | | वार्ड नं0 10 तरना महेशपुर में मेन रोड से पी0जी0 अग्रसेन के घर से मिठाई लाल, गौरी शंकर, म0नं0 10/3 म0नं0 10/25 म0नं0 10/19 घुन्नू राम, विजय | 36.40 | 18.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लाल, दीपक लाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | | |
| 6 | | | वार्ड नं0 10 तरना महेशपुर में मो0 भरलाई से सोनकली बालिका विद्यालय से म0नं0 15/178, म0नं0 15/189, म0नं0 15/181, म0नं0 15/180 डी0के0 तक इण्टरलाकिंग व जल निकासी काकार्य। | 27.24 | 13.620 |
| **योग** | | | | **242.55** | **121.275** |

**(रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ मात्र)**

**(अखिलानन्द ब्रम्हचारी)**
उप सचिव।